

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 147 / 2016

दर्ज दिनांक:—19.09.2016

1. खैमा वगै. पता—प्रार्थी
बनाम
2. वासदेव वगै. पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
नीरपालसिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—15.10.2019

वकील उभयपक्ष उपस्थित / बार-बार हिदायत के बाद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई है। तलवी हेतु कई अन्तिम अवसर दिये गये हैं। दिनांक 04.02.2019 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं हैं। अतः दावा वादीगण ओ 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

संजय गोयल, आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर